बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

शुद्धि–पत्र

संचिका संख्याः– 10/न–75/2017..811..   पटना, दिनांक..04/7/2018

विभागीय पत्रांक–779 दिनांक– 28.06.2018 द्वारा देल्ही पब्लिक स्कूल ताजपुर, कस्बेअहार, ताजपुर, समस्तीपुर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। त्रुटिवश निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में का ट्रस्ट का नाम टंकण भूलवश गलत अंकित हो गया है।

अतएव निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित ट्रस्ट का नाम ''देल्ही पब्लिक स्कूल एडुकेशनल ट्रस्ट'' के स्थान पर ''**देल्ही पब्लिक स्कूल एडुकेशनल ट्रस्ट (बिहार चैप्टर)**'' पढ़ा जाय।

शेष सभी कंडिका यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन,

4/7/18

(मो0 तसनीमुर रहमान)
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 10/न–75/2017..811..   पटना, दिनांक..04/7/2018

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली. 110092/जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर/ देल्ही पब्लिक स्कूल ताजपुर, कस्बेअहार, ताजपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

4/7/18

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांकः–10/न–75/2017.................
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

तसनीमुर रहमान,
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक.............................

विषयः– **देल्ही पब्लिक स्कूल ताजपुर, कस्बेअहार, ताजपुर, समस्तीपुर को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **देल्ही पब्लिक स्कूल ताजपुर, कस्बेअहार, ताजपुर, समस्तीपुर को** अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों एवं जांच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गईः–

1. यह विद्यालय **देल्ही पब्लिक स्कूल एजुकेशनल ट्रस्ट** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 1.5 एकड़ भूमि 30 वर्षो के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।**

4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हैं। विद्यालय में **कुल** 15 शिक्षक हैं। **सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।**

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करें। इसे सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तो के अनुसारः–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं

तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/–(दो लाख रूपये मात्र) **से** कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 **अथवा प्राथमिक** कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलामीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी **सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।**

9. **साथ ही सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है।** स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्द्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक–18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. **विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।**

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिय गये निर्णयानुसार सी0बी0एस0ई0 ऐफिलियेशन वायलॉज के कंड़िका 3 में वर्णित प्रावधानानुसार 3 सेक्शन हेतु **देल्ही पब्लिक स्कूल ताजपुर, कस्बेअहार, ताजपुर, समस्तीपुर** को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(तसनीमुर रहमान)
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न–75/2017 .... पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न–75/2017 ....779. पटना, दिनांक....28/6/2018

प्रतिलिपि:– देल्ही पब्लिक स्कूल ताजपुर, कस्बेअहार, ताजपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/6/18
विशेष निदेशक,(माध्यमिक शिक्षा)